

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

63

पत्रांक : 35 / लोन-१ / प्र०आ०- भवन / 2011-12 दिनांक २५/०३/२०१३

अनुमति-पत्र

७५ कनूगाते ल०५० नार गियोरन पथा विकास अधिनियम १९७३ लो थाए १४ व १५ के अन्तींत दी जाती है, दिनत्रु इर्थ यह न जगझगा चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में यिस पर कार्यालय/सभूह आवास मानवित स्वीकृत हिठ या रक्षा है, इससे भिसी प्रकार या किसी खानीट निलाग या इराका रखानीट अधिकारी क अपि अश्वा फर्म के नालिकाना उद्दीक्षारों पर किसी का कोई असर गडेना अथात् यह ऊगति विसी के भिलिक्यत या रुचित वो क्षितिग्रहों के दिल्ल कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री ललित मोहन युक्ता पुत्र स्वयं जेठपीठ गुप्ता, निदेशक, एकार्योदय ट्रॉडिंग प्राइविल एवं श्री अभिनव गुप्ता पुत्र श्री ललित मोहन युक्ता द्वारा नज़ूल फ़ी होल्ड भूखण्ड संख्या-41/2 (साठ) सिविल स्ट्रेशन, हलाहालाद जौन संख्या (1) के अनुगत कार्यालय/समूह आधार में बन निर्माण की अनुमति हेतु दोखिल भवन गानधीर के प्रस्तावित भाग ५२ निर्माण की अनुमति जिन्हाँनिक प्रतिवाद के अधीन प्रदान ही जाता है :-

1. उम्प० नगर नियोजन एवं टिकास अधिनियम 1973 को धारा 16A (1) के प्राविशानो के अनुसूची पूर्णता प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग/अधेशोग किए जायेगा, अब नेहरू एवं टिकास उपायोग 2006 में लघुपिडि राखा 21.8 एवं 3.18 में नियांसिरित प्रक्रिया पर्याप्त कर पूर्णता प्राप्त-प्राप्त करना आवश्यक है।
  2. यह ऐक्यकृती डानिशन (Provisional) स्थीरता के लिए में होती। नियां पूर्ण होने तक उपराज्य सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्त पूर्ण करने के पश्चात् नियां जिसे जाने वाले 'पूर्णता प्राप्त प्राप्त' प्राप्त करने के बाद ही इस प्रैस्ट को वारांचिल उपयोग से बाब जा सकेंगे।
  3. अल एवं 4X3 फिट का एप्ल बोड लगाकर स्वोकृति भव्यती वैवरण, अकित घटना होगा।
  4. रुद्ध पर 12 बृक्ष लम्बा ना होगा तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का वायित्व अव्योदक का होगा।
  5. रेपार्टर इत्यादि का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण करातेर मू-गर्भ जल विभाग रो अनाप्ति प्राप्त घटना अनियार्थ होगा।
  6. सोलर हाउस इंटिंग संचय की स्थापना आवश्यक होगी, जिरका संधोजन कियें, बाहर का में अनिवार्य रूप से किया जाय।
  7. आनन्दी न्यायलद में कोई बदल होने अथवा उत्पन्न होने वी विधि में प्रदूर स्वीकृति गान्नोद्य न्यायलद के नियंत्र के उच्चीन ढोगी।
  8. विभेन्न 8.00 एवं जारी शूलना देश त्रियमें का मालन करना होगा तथा प्रधिकरण यादि कोई शुल्क डारोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना हो।।।
  9. चीन डेल्टा/पार्क के अन्तर्गत रिचार्ज/टैक एक बोने में बनान होगा।
  10. उम्प० लार्टरमेन्ट एकड़ 2013 एवं रुद्ध 2011 का अक्षर्या गालन लवना होगा।
  11. पार्क विभिन्न नई स्थीरता अपर प्र०.उण्ड पलोए के वासिक मामा पर कार्यालय सहित 2 इकाई तथा प्रश्न, डिलोल, तृतीय, चतुर्थ एवं पन्द्रह तल एवं 6-6 आवासीय इकाई 2-2 छह तल एवं 6 आवासीय इकाई राडित कुल 37 अ.० सील इकाई का निर्गम अनुमन्य है।
  12. नगर आयोग, नगर नियोजन एवं रुद्ध की अन्तर्गत दिनांक 21.02.2013, तुर्थ अन्तर्गत शपान शायेजारी इवाहनद की अनाप्ति। दिनांक 17.12.2012 एवं मुख्य अग्रिमा।-विद्युत की अन्तर्गत दिनांक 23.02.2013 में अकित प्रतिवर्ष का वायरल अनुपालन करना होगा।।।  
(छायाप्रति संलग्न)

**Continued**

